उत्तर प्रदेश [1]*व्यापार कर* सेवा नियमावली, 1983*

संख्या–वि० क० 11-1548/दस-171/78

दिनांक 22-9-1983

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश 'व्यापार कर सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश '*व्यापार कर* सेवा नियमावली, 1983 कही जायेगी।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति–

2. उत्तर प्रदेश' *व्यापार कर* सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क" और समूह "ख" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें–

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–
   (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
   (ख) "सहायक आयुक्त" का तात्पर्य सहायक आयुक्त '*व्यापार कर* के रूप में नियुक्त अधिकारी से है,
   (ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये,
   (घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है,
   (ङ) "आयुक्त" का तात्पर्य आयुक्त '*व्यापार कर* उत्तर प्रदेश से है,
   (च) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है,
   (छ) "उप-आयुक्त" का तात्पर्य उप-आयुक्त, '*व्यापार कर* के रूप में नियुक्त अधिकारी से है,
   (ज) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,
   (झ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,
   (ञ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद में, किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

---

*The Hindi designations of some of the officers, referred to in the U.P. Trade Tax Service Rules, 1983, *supra* have since undergone changes vide U.P. Trade Tax (Amendment) Rules as under :

As per the Service Rules, 1983	As per U.P. Trade Tax (Amendment) Rules, 1994 (Hindi Edition)	As Per U.P. Trade Tax (First Amendment) Rules, 1996 (Hindi Edition)
सहायक आयुक्त	सहायक कमिश्नर	असिस्टैण्ट कमिश्नर
उप-आयुक्त	उप-कमिश्नर	डिप्टी कमिश्नर

1. Construed for "Sales Tax" vide U.P. Sales Tax (Amendment) Act, 1995 (Act No. 31 of 1995) dated 25.8.1995.

(ट) '''व्यापार कर अधिकारी'' का तात्पर्य किसी सर्किल के 'व्यापार कर अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत 'व्यापार कर अधिकारी (विशेष अनुसंधान शाखा), 'व्यापार कर अधिकारी (चल दस्ता), 'व्यापार कर अधिकारी एवं राज्य प्रतिनिधि, 'व्यापार कर अधिकारी जिसके प्रभार में उच्च न्यायालय सम्बन्धी कार्य हो 'व्यापार कर अधिकारी (संग्रहण), 'व्यापार कर अधिकारी एवं सहायक आयुक्त 'व्यापार कर, 'व्यापार कर अधिकारी, शोध प्रकोष्ठ, 'व्यापार कर अधिकारी एवं प्रवक्ता और आयुक्त, 'व्यापार कर के मुख्यालय पर या उप आयुक्त (जांच चौकी और चल दस्ता) 'व्यापार कर के कार्यालय में या किसी अन्य उप आयुक्त या सहायक आयुक्त, 'व्यापार कर के कार्यालय में तैनात 'व्यापार कर अधिकारी भी है।

(ठ) ''सचिव'' का तात्पर्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार जिसके प्रभार में 'व्यापार कर विभाग है, से है और इसके अन्तर्गत 'व्यापार कर विभाग की देखरेख करने वाला विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार भी है,

(ड) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश 'व्यापार कर सेवा से हैं,

(ढ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

(ण) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग 2—संवर्ग

सेवा का संवर्ग—

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य-संख्या, उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गई है—

पद	स्थाई	अस्थाई
समूह ''ख'' के पद :		
'व्यापार कर अधिकारी	489	255
'व्यापार कर अधिकारी (चयन श्रेणी)	108	—
समूह ''क'' के पद :		
(1) सहायक आयुक्त (साधारण श्रेणी)	70	79
(2) सहायक आयुक्त (चयन श्रेणी)	19	—
(3) उप-आयुक्त	16	9

परन्तु राज्यपाल—

(क) किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई उचित प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(ख) ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

1 Construed for 'Sales Tax" vide U.P. Sales Tax (Amendment) Act, 1995 (Act No. 31 of 1995) dated 25.8.1995.

भाग 3–भर्ती

भर्ती का स्रोत–

5. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती प्रत्येक पद के सामने दिये गये स्रोतों से की जायेगी।

(क) '*व्यापार कर* अधिकारी–

(1) आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा

और

(2) ऐसे स्थायी '*व्यापार कर* अधिकारी श्रेणी-2, में से जिन्होंने इस रूप में कम-से-कम सात वर्ष की सेवा की हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

ऊपर लिखित दोनों स्रोतों से भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि, जहां तक हो सके, संवर्ग में दो-तिहाई पद सीधे भर्ती किये गये अभ्यर्थियों द्वारा और एक-तिहाई पद प्रोन्नत अधिकारियों द्वारा धृत किये जायें।

टिप्पणी–उत्तर प्रदेश सिविल कार्यकारी सेवा और राज्य की किसी अन्य सेवा में जिसके अन्तर्गत यह सेवा भी है, भर्ती के लिए, आयोग द्वारा एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

(ख) सहायक आयुक्त–

ऐसे स्थायी '*व्यापार कर* अधिकारी में से जिन्होंने इस रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा।

(ग) उप-आयुक्त–

ऐसे स्थायी सहायक आयुक्तों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा।

(2) यदि विहित पात्रता के क्षेत्र से, '*व्यापार कर* अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिए, उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो राज्यपाल, आयोग के परामर्श से, पात्रता के क्षेत्र का विस्तार उस सीमा तक कर सकते हैं जो वह आवश्यक समझें।

आरक्षण–

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4–अर्हतायें

राष्ट्रीयता–

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश–केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो,

1. Construed for "Sales Tax" vide U.P. Sales Tax (Amendment) Act, 1995 (Act No. 31 of 1995) dated 25.8.1995.

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हता–

8. सेवा में सीधे भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए।

अधिमानी अर्हताएं–

9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय केडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु–

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और *30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र–

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी नियम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति–

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो।

* Since revised as 32 years.

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता–

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी सीधे भर्ती किये गये अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह राज्य चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो और उसके द्वारा स्वस्थ घोषित किया जाये।

भाग 5–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण–

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली [1]व्यापार कर अधिकारी के पदों की रिक्तियों की संख्या और इस नियमावली के नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

[1]*व्यापार कर* अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

15. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित पत्र में आमंत्रित किये जायेंगे जिसे आयोग के सचिव से, भुगतान करने पर यदि कोई हो, प्राप्त किया जा सकता है।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

(3) आयोग, लिखित परीक्षा का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात् नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए उतने अभ्यर्थियों को बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर, इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हो। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता-क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतने अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझें। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी। आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी–प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होंगे जो समय-समय पर आयोग द्वारा राज्यपाल के परामर्श से विहित किये जायें।

व्यापार कर अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया–

16. [1]*व्यापार कर* अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा चयन, योग्यता के आधार पर, समय-समय पर यथा

1. Construed for "Sales Tax" vide U.P. Sales Tax (Amendment) Act, 1995 (Act No. 31 of 1995) dated 25.8.1995.

संशोधित *उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनश्रोति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

सहायक आयुक्त और उप आयुक्त के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया–

17. (1) सहायक आयुक्त और उप आयुक्त के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(एक)	सचिव	(अध्यक्ष)
(दो)	आयुक्त	(सदस्य)
(तीन)	सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	(सदस्य)

(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, उप नियम (1) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(3) सचिव पात्र अभ्यर्थियों की उनकी ज्येष्ठता-क्रम में एक सूची तैयार करेगा और उसे उनकी पद-क्रम सूची, चरित्र पंजियों ओर उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उनके चयन के लिए सुसंगत समझे जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति चरित्र पंजियों और अन्य सुसंगत अभिलेखों की सहायता से अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी। यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(5) समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की, जिस पद से उनका चयन किया गया है, उस पद पर उनकी ज्येष्ठता क्रम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची–

(18) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाये तो एक संयुक्त सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

दृष्टान्त–

यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 9 रिक्तियां हो तो 6 रिक्तियां सीधी भर्ती (सी० भ०) वालों की और 3 रिक्तियां पदोन्नति (प०) व्यक्तियों को दी जायेगी। संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित, चक्रानुक्रम में की जायेगा :–

1–प०
2–सी० भ०
3–सी० भ०
4–प०
5–सी० भ०
6–सी० भ०
7–प०
8–सी० भ०
9–सी० प०

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, चयन श्रेणी और ज्येष्ठता

नियुक्ति–

19. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गई सूची में हो।

---

* See these Rules on further pages.

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाये, विद्यमान ज्येष्ठता-क्रम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाये तो नाम नियम 18 के अधीन तैयार की गई सूची के अनुसार रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो यह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी और जहां पद आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों, वहां ऐसी नियुक्तियों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम 1954 के विनियम 5 (क) के उपबन्ध लागू होंगे।

परिवीक्षा–

20. (1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति की दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाये।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी ऐसे पद पर धाराधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाये या उसकी सेवायें समाप्त की जाये, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण–

21. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति को स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाये,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता–

22. (1) एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाए, किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हो, अवधारित की जायेगी।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने से होगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो ज्येष्ठता वहीं होगी जो नियम 19 के उप नियम (3) के अधीन किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी, जो आयोग द्वारा अवधारित की गयी हो।

परन्तु सीधे भर्ती किया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किया जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना, कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध से नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गई।

प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा–

23. (1) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् सीधे भर्ती किये गये सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे परिवीक्षा-अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लें और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लें और ऐसी परीक्षा दें जो समय-समय पर सरकार या आयुक्त द्वारा विहित की जाये।

टिप्पणी–इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और नियम वहीं है जो परिशिष्ट "क" और "ख" में क्रमशः दिये गये है।

(2) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अधिक से अधिक तीन अवसर दिये जायेंगे, किन्तु राज्यपाल विशेष मामले में, किसी अभ्यर्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए चौथा अवसर दे सकते है।

चयन श्रेणी में नियुक्ति प्रक्रिया–

24. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा [1]व्यापार कर अधिकारी के पदों पर चयन श्रेणी में नियुक्ति, अनुपयुक्ति को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर नियम 17 के अधीन गठित चयन समिति के परामर्श से की जायेगी।

---

1. Construed for "Sales Tax" vide U.P. Sales Tax (Amendment) Act, 1995 (Act No. 31 of 1995) dated 25.8.1995.

भाग 7–वेतन इत्यादि

वेतनमान–

25. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय विभिन्न श्रेणियों के पदों पर लागू वेतनमान नीचे दिये गये है–

पद	[1]वेतनमान
(1) [2]*व्यापार कर* अधिकारी	
(2) [2]*व्यापार कर* अधिकारी (चयन श्रेणी)	
(3) सहायक आयुक्त (साधरण श्रेणी)	
(4) सहायक आयुक्त (चयन श्रेणी)	
(5) उप आयुक्त	

परिवीक्षा अवधि में वेतनमान–

26. (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो। परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति अधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड–

27. (1) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे वेतनमान में वेतन आहरित करता हो, जिसमें केवल एक ही दक्षतारोक हो, दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण पूरी तौर से सन्तोषजनक न पाया जाये, और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये।

1. Pay scales are not being provided *supra*, as the same have been revised several times since enforcement of these Rules and are likely to be revised again shortly.

2. Construed for 'Sales Tax' vide U.P. Sales Tax (Amendment) Act, 1995 (Act No. 31of 1995) dated 25.8.1995.

(2) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे वेतनमान में वेतन आहरित करता हो, जिसमें दो या अधिक दक्षतारोक हो–

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाये और जब तक उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये, और

(दो) द्वितीय या तृतीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाये और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये।

भाग 8–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन–

28. इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिनी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन–

29. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता–

30. जहां राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम में प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति–

31. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य नियामतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित हो।

A.C. की सेवानियमावली

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त विभाग

[कर एवं संस्थागत वित्त]

अधिसूचना

प्रकीर्ण

25 नवम्बर, 1997 ई0

सं0 क0 सं0 वि0–1–5316/11–97–70–88––संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश, व्यापार कर सेवा नियमावली, 1983 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्न–लिखित नियमावली बनाते हैं––

उत्तर प्रदेश व्यापार कर सेवा (तृतीय संशोधन)

नियमावली, 1997

1––संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ––(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश, व्यापार कर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1997 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2––नियम 3 का संशोधन––उत्तर प्रदेश व्यापार कर सेवा नियमावली, 1983 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 3 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान खंड (क–1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्––

स्तम्भ–1 वर्तमान खंड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खंड
(क–1) "अपर आयुक्त (विधि)" का तात्पर्य अपर आयुक्त (विधि) बिक्री कर के रूप में नियुक्त अधिकारी से है ।	(क–1) "अपर आयुक्त श्रेणी–दो" का तात्पर्य अपर आयुक्त श्रेणी–दो व्यापार कर के रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है । (क–2) "अपर आयुक्त श्रेणी–एक" का तात्पर्य अपर आयुक्त श्रेणी–एक, व्यापार कर के रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है ।

3––नियम 4 का संशोधन––उक्त नियमावली में, नियम 4 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उप–नियम (2) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्––

स्तम्भ–1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है––	(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है––

पद	स्थायी	अस्थायी	पद	स्थायी	अस्थायी
समूह "ख" के पद––			समूह "ख" के पद––		
बिक्रीकर अधिकारी	727	150	व्यापार कर अधिकारी	747	31
समूह "क" के पद––			समूह "क" के पद––		
1––सहायक आयुक्त	146	89	1––सहायक आयुक्त	146	188
2––उप आयुक्त	24	5	2––उप आयुक्त	24	107
3––अपर आयुक्त (विधि)	..	1	3––अपर आयुक्त श्रेणी–2	..	2
			4––अपर आयुक्त श्रेणी–1	..	13

4—नियम 5 का प्रतिस्थापन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम–5 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती प्रत्येक पद के सामने दिये गये स्रोतों से की जायेगी—	5—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी—
[क] विक्रीकर अधिकारी—	[क] व्यापार कर अधिकारी—
(एक) 50 प्रतिशत आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर, सीधी भर्ती द्वारा, और	(एक) पचास प्रतिशत आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, और
(दो) 50 प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे विक्री कर अधिकारी श्रेणी–दो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।	(दो) पचास प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–दो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
टिप्पणी—उत्तर प्रदेश सिविल कार्यकारी सेवा और राज्य की अन्य सेवाओं में जिसके अन्तर्गत यह सेवा भी है, भर्ती के लिए आयोग द्वारा एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकती है ।	टिप्पणी—उत्तर प्रदेश सिविल कार्यकारी सेवा और राज्य की अन्य सेवाओं में जिसके अन्तर्गत यह सेवा भी है, भर्ती के लिए, आयोग द्वारा एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकती है ।
[ख] सहायक आयुक्त—ऐसे स्थायी विक्रीकर अधिकारियों में से जिन्होंने इस रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा ।	[ख] सहायक आयुक्त—मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यापार कर अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा ।
[ग] उप आयुक्त—ऐसे स्थायी सहायक आयुक्तों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा ।	[ग] उप आयुक्त—मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक आयुक्तों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा ।
[घ] अपर आयुक्त (विधि)—मौलिक रूप से नियुक्त उन विक्रीकर उप आयुक्तों में से जिन्होंने इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा ।	[घ] अपर आयुक्त श्रेणी–दो—मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप आयुक्तों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा ।
	[ङ] अपर आयुक्त श्रेणी–एक—मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर आयुक्त श्रेणी–दो और मौलिक रूप से नियुक्त उप आयुक्तों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में क्रमशः एक वर्ष की सेवा और दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा ।
(2) यदि विहित पात्रता के क्षेत्र से, बिक्रीकर अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिए, उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो राज्यपाल, आयोग के परामर्श से, पात्रता के क्षेत्र का विस्तार उस सीमा तक कर सकते हैं, जो वह आवश्यक समझें ।	(2) यदि व्यापार कर अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिए विहित पात्रता क्षेत्र से पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सरकार आयोग के परामर्श से पोषक संवर्ग के पद के लिए विहित परीक्षा अवधि को छोड़ कर पोषक संवर्ग पद पर विहित सेवा अवधि में उस सीमा तक छूट दे सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे ।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(3) यदि सहायक आयुक्त, उप आयुक्त, अपर आयुक्त श्रेणी–दो और अपर आयुक्त श्रेणी–एक के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सरकार, पोषक संवर्ग में पदों के लिए विहित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर पोषक संवर्ग में पद पर विहित सेवा अवधि में उस सीमा तक छूट दे सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे ।

5—नियम 17 का प्रतिस्थापन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

	स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सहायक आयुक्त, उप आयुक्त अपर आयुक्त, श्रेणी–2 और अपर आयुक्त श्रेणी–एक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	(1) सहायक आयुक्त और उपायुक्त के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे— (एक) सचिव (अध्यक्ष) (दो) आयुक्त (सदस्य) (तीन) सचिव, उत्तर प्रदेश, सरकार कार्मिक विभाग (सदस्य)	17—(1) सहायक आयुक्त, उप आयुक्त, अपर आयुक्त श्रेणी–2 और अपर आयुक्त श्रेणी–1 के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली 1994 में दिए गये मानदण्ड के आधार पर, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।
	(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर उपनियम (1) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।	टिप्पणी—चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन दिए गये आदेशों के अनुसार, किया जायेगा।
		(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य, अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा । परन्तु जहां— (क) विभिन्न वेतनमान धारण करने वाले दो या अधिक पोषक संवर्ग हों तो उच्चतर वेतनमान धारण करने वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा ।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(ख) समान वेतनमान धारण करने वाले दो या अधिक पोषक संवर्ग हों तो अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने अपने संवर्गों में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जायेंगे । यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक ही हो तो ऐसी स्थिति में आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा ।
(3) सचिव पात्र अभ्यर्थियों की सूची उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयन–नोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे चयन समिति के समक्ष रखेगा ।	(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।
(4) चयन समिति चरित्र पंजियों और अन्य सुसंगत अभिलेखों की सहायता से अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी । यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।	(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में, जो उस संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाना है, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।
(5) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची उस ज्येष्ठता क्रम में, जो उस संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है, रख कर तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।	

6—नियम 17–क का निकाला जाना—उक्त नियमावली में, नियम 17–क निकाल दिया जायेगा।

7—नियम 25 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नियम 25 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा,

स्तम्भ–1

वर्तमान उप नियम

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय विभिन्न श्रेणियों के पदों पर लागू वेतनमान नीचे दिये गये है :

पद	उन व्यक्तियों के लिए जिनकी नियुक्ति 6 मार्च, 1973 को या उसके पश्चात् की गयी हो और जिन्होंने उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971–73) द्वारा संस्तुत नये वेतनमान चुने हों	उन व्यक्तियों के लिए जिनकी नियुक्ति 6 मार्च, 1973 के पहले की गयी हो और जिन्होंने पुराने वेतनमानों के लिए विकल्प दिया हो	उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979–80) द्वारा संस्तुत नये वेतनमानों को चुना हो	उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1986–89) द्वारा संस्तुत नये वेतनमानों को चुना हो ।
1	2	3	4	5
	रु0	रु0	रु0	रु0
विक्रीकर अधिकारी	550–30–700– द0 रो0–40–900 द0 रो0 50–1200	300–25–400– द0 रो0–30–550 द0 रो0 30–700 द0 रो0 50–900	850–40–1050– द0 रो0–1300– 60–1420–द0रो0 60–1720	2200–75–2800 द0 रो0 100– 4000।

1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
सहायक आयुक्त साधारण वेतनमान	800–50–1050–द0रो0–50–1300–द0 रो0–50–1450	600–50–800–द0 रो0–50–1050 द0 रो0–50–1250	1250–50–1300–60–1660 द0रो0–60–1900–75–2050	3000–100–3500–125–4500
सहायक आयुक्त चयन श्रेणी	900–50–1050–द0 रो0–50–1400 द0 रो0–50–1600	750–50–950–द0 रो0 50–1200–द0 रो0 50–1400	1600–60–1900–75–2275	..
उपायुक्त	1400–50–1500–द0 रो0–60–1800	1300–50–1600	1840–60–1900–75–2200–100–2400	3700–125–4700–150–5000
अपर आयुक्त (विधि)	..	..	2300–2700	4500–150–5700

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय विभिन्न श्रेणियों के पदों पर अनुमन्य वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

पद	उन व्यक्तियों के लिए जिनकी नियुक्ति 6 मार्च, 1973 को या उसके पश्चात् की गई हो और जिन्होंने उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971–73) द्वारा संस्तुत नये वेतन-मान चुने हों	उन व्यक्तियों के लिए जिनकी नियुक्ति 6 मार्च, 1973 के पहले की गयी हो और जिन्होंने पुराने वेतनमानों के लिए विकल्प दिया हो	उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने वेतन आयोग 79–80 द्वारा संस्तुत नये वेतन मान को चुना हो	उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1986–89) द्वारा संस्तुत नये वेतनमान को चुना हो
1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
व्यापार कर अधिकारी	550–30–700–द0 रो0–40–900–द0रो0–50–1200	300–25–400–द0 रो0–30–550–द0 रो0–30–700–द0रो0–50–900	850–40–1050–द0 रो0–50–1300–60–1420–द0 रो0–60–1720	2200–75–2800–द0रो0–100–4000

1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
सहायक आयुक्त	800–50–1050–द0 रो0–50–1300–द0–रो0-50-1450	600–50–800–द0रो0–50–1050–द0 रो0–50–1250	1250–50–1300–60–1660–द0रो0–60–1900–75–2050	3000–100–3500–125–4500
उप आयुक्त	1400–50–1500–द0रो0–60–1800	1300–50–1600	1840–60–1900–75–2200–100–2400	3700–125–4700–150–5000
अपर आयुक्त श्रेणी–दो	..	..	2300–2700	4500–150–5700–5100–150–6150
अपर आयुक्त श्रेणी–एक	..	..	..	

आज्ञा से,
हरीश चन्द्र गुप्त,
प्रमुख सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. K. S. V.-1-5316/11-97—70-88, dated November 25, 1997 :

No. K. S. V-1-5316/11-97—70-88

November 25, 1997

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Trade-tax Service Rules, 1983.

THE UTTAR PRADESH TRADE-TAX SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES, 1997.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Trade-tax Service (Third Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force at once.

2. **Amendment of rule 3.**—In the Uttar Pradesh Trade-tax Service Rules, 1983, hereinafter referred to as the said Rules, in rule 3, for existing clause (a-1) set out in Column 1 below the clauses as set out in Column 2 shall be substituted, namely :

COLUMN 1 *Existing clause*	COLUMN 2 *Clauses as hereby substituted*
(a-1) "Additional Commissioner (Legal)" means an officer appointed as Additional Commissioner (Legal), Trade-tax.	(a-1) "Additional Commissioner Grade-II" means an officer appointed as Additional Commissioner Grade-II Trade-tax. (a-2) "Additional Commissioner Grade-I" means an officer appointed as Additional Commissioner Grade-I Trade-tax.

3. Amendment of rule 4.—In the said Rules, in rule 4 for existing sub-rule (2) set out in Column 1 below, the sub-rule as set out in Column 2, shall be substituted namely :

COLUMN 1

Existing sub-rule

2. The strength of the service and of each category of posts therein shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as mentioned below:

Post	Permanent	Temporary
Group 'B' Post		
Trade-tax Officer	727	150
Group 'A' Posts		
(1) Assistant Commissioner	146	89
(2) Deputy Commissioner	24	5
(3) Additional Commissioner (Legal)	—	1

COLUMN 2

Sub-rule as hereby substituted

2. The strength of the service and of each category of posts therein shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as metioned below:

Post	Permanent	Temporary
Group 'B' Post		
Trade-tax Officer	747	31
Group 'A' Posts		
(1) Assistant Commissioner	146	188
(2) Deputy Commissioner	24	107
(3) Additional Commissioner (Legal)	—	2
(4) Additional Commissioner Grade-I	—	13

4. Substitution of rule 5.—In the said rules, for existing rule 5 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted namely:

COLUMN 1

Existing rule

5. Source of Recruitment.—Recruitment to the various categories of post in the Service shall be made from the sources indicated against each:

(a) *Trade-tax Officer*—

(i) 50 per cent of the vacancies by direct recruitment on the result of competitive examination conducted by the Commission, and

(ii) 50 per cent of the vacancies by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Trade-tax Officer Grade-II who have completed seven years of service as such on the first day of the year of recruitment.

NOTE.—A combined competitive examination may be held by the Commission for recruitment to the Uttar Pradesh Civil Executive Services and other State Services including this service.

(b) *Assistant Commissioner*—

By promotion for amongst Permanent Trade-tax Officers who have put in not less than

COLUMN 2

Rule as hereby substituted

5. Source of recruitment.—(1) Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources:

(a) *Trade-tax Officer*—

(i) Fifty per cent by direct recruitment on the result of the competitive examination conducted by the Commission; and

(ii) Fifty per cent by promotion, through the Commission, from amongst substantively appointed Trade-tax Officer Grade-II who have completed seven years of service as such on first day of the year of recruitment.

NOTE.—A combined competitive examination may be held by the Commission for recruitment to the Uttar Pradesh Civil Executive Services and other State Services including this service.

(b) *Assistant Commissioner*—

By promotion through the Selection Committee from amongst stantively appointe

COLUMN 1 *Existing-rule*	COLUMN 2 *Rule as hereby substituted*
seven years service as such.	Trade-tax Officers who have completed seven years of service as such on the first day of the year of recruitment.
(c) *Deputy Commissioner*—	(c) *Deputy Commissioner*—
By promotion from amongst permanent Assistant Commissioners who have put in not less than seven years service as such.	By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Assistant Commissioners who have completed five years of service as such on the first day of the year of recruitment.
(d) *Additional Commissioner (Legal)*—	(d) *Additional Commissioner (Grade-II)*—
By promotion from amongst substantively appointed Deputy Commissioners, Trade-tax Officer who have completed two years service as such.	By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Deputy Commissioners who have completed two years of service as such on the first day of the year of recruitment.
	(e) *Additional Commissioner, (Grade-I)*—
	By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Additional Commissioners, Grade-II and substantively appointed Deputy Commissioners who have completed one year of service and two years of service, as such, respectively on the first day of the year of recruitment.
(2) If suitable candidates are not available for promotion on the posts of Trade-tax Officers from the prescribed field of eligibility, the Governor may, in consultation with the Commission, extend the field of eligibility to the extent considered necessary.	(2) If eligible or suitable candidates are not available for promotion to the posts of Trade-tax Officer from the prescribed field of eligibility, the Government may, in consultation with the Commission relax the prescribed length of service on the post in the feeder cadre to such extent as it may considered necessary excluding the period of probation prescribed for the post of feeder cadre.
	(3) If eligible or suitable candidates are not available for promotion to the posts of Assistant Commissioner, Deputy Commissioner, Additional Commissioner, Grade-II and Additional Commissioner, Grade-I, the Government may relax the prescribed length of service on posts in the feeder cadre to the extent as it may considered necesary excluding the period of probation prescribed for the posts in the feeder cadre.

5. Substitution of Rule 17.—In the said Rules, for existing rule 17 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely :

COLUMN 1 (*Existing rule*)	COLUMN 2 (*Rule as hereby substituted*)
17. Procedure for recruitment by promotion to the posts of Assistant Commissioner and Deputy Commissioner.—(1) For the purpose of recruitment by promotion to the posts of Assistant Commissioner and Deputy Commissioner there shall be constituted a selection committee consisting of— (i) The Secretary .. *Chairman.* (ii) The Commissioner .. *Member.* (iii) The Secretary to Government in Karmik Department. .. *Member.*	**17. Procedure for recruitment by promotion to the post of Assistant Commissioner, Deputy Commissioner, Additional Commissioner Grade-II and Additional Commissioner Grade-I.**—(1) Recruitment by promotion to the posts of Assistant Commissioner, Deputy Commissioner, Additional Commissioner Grade-II and Additional Commissioner Grade-I shall be made on the basis of criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts out side the purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time. NOTE—Nomination of Officers belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes Act, 1994, as amended from time to time.
(2) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to rejection of the unfit through the selection Committee constituted under sub-rule(1).	(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the Candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee